पंजीकृत

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 8707/31–35 (2022–23) दिनांक 01 सितम्बर, 2023

Shri Nandan Maluste Nirant,
Juhu Tara Road, Juhu Santacruz (West),
Mumbai-400049.

विषय :– **Regarding complaint against hate incidents agaisnt Muslims causing their exodus from uttarkashi**

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–O/MH/104/00114/2023 दिनांक 05.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में जांच कार्यवाही कर अनुपालन आख्या आपको उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है, कि प्राप्त अभ्यावेदन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी ने प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जांच आख्या पत्र संख्या–शि0प्र0–114–(डीएम)/2023 दिनांक 9.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित कर उपलब्ध करायी गई है। पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी से प्राप्त जांच आख्या की प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः तद्नुसार सूचित होवें।

संलग्न–यथोपरि, 03 वर्क।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– अनुसंधान अधिकारी, मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–O/MH/104/00114/2023 दिनांक 05.07.2023 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

·024cc — RN - 9068
16/8/23

प्रभारी अधिकारी
कृते-जिला

शि0प्र0-114-(डीएम)/2023

16/08/23 कार्यालय पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी।
दिनांक- अगस्त, 09/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 7705/31-35(2022-23) दिनाँक 28.7.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो शिकायतकर्ता श्री नन्दन मालुस्ते निरंत निवासी जूहु तारा रोड जूहु सान्ताकुंज (वेस्ट) ,मुम्बई के द्वारा प्रेषित शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी बडकोट से आख्या प्राप्त की गयी तो क्षेत्राधिकारी बडकोट द्वारा अपनी आख्या से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2023 को वादी श्री चमनदास पुत्र श्री जुमान दास निवासी ग्राम खरसाडी तह0 मोरी जनपद-उत्तरकाशी द्वारा थाना पुरोला में एक लिखित तहरीर स्वयं की पुत्री कु0 रुचि उम्र करीब 14 वर्ष को उवैद खान पुत्र अहमद हाल निवासी कुमोला रोड, पुरोला, जनपद उत्तरकाशी व जितेन्द्र सैनी पुत्र अतर सैनी हाल निवासी कुमोला रोड, पुरोला, जनपद उत्तरकाशी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर तददिनांक 26.5.2023 को ही थाना पुरोला पर मु0अ0सं0-05/2023 धारा- 363/366ए/511 भादवि बनाम उबैद खान,जितेन्द्र सैनी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना म0उ0नि0 दीप्ति जगवाण थाना बडकोट के सुपुर्द की गई। प्रकरण अन्तर्समुदाय होने के कारण पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक -27.05.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर स्थान पुरोला नौगांव मोटर मार्ग चन्दोली से दोनों अभियुक्तगण (1)-उबैद खान पुत्र अहमद निवासी मोहल्ला कचहरी सराय जलालाबाग थाना नजीबाबाद (उ0प्र0) उम्र 21 वर्ष, हाल निवासी- कुमोला रोड पुरोला जनपद उत्तरकाशी (2) जितेन्द्र सैनी पुत्र अतर सैनी निवासी ग्राम-झज्जीपुरा गन्धू थाना नैहटोर जिला बिजनौर उ0प्र0 उम्र- 23 वर्ष हाल निवासी कुमोला रोड पुरोला को गिरफ्तार किया गया। विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पीडिता के बयानों के आधार पर धारा- 511 भा0द0वि0 का विलोपन कर धारा- 16/17 पोक्सो एक्ट की बढोतरी की गई। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये आरोप पत्र संख्या 08/23 दिनाँक 10.7.2023 को मा0न्या0 प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रकरण अन्तर्समुदाय का होने के कारण स्थानीय लोगों/हिन्दू संगठनों के द्वारा आक्रोश में आकर सम्पूर्ण पुरोला क्षेत्र में रैली/जुलूस निकाला गया एंव क्षेत्रों में समुदाय विशेष का बहिष्कार किया गया। अन्तर्समुदाय प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारी/कर्म0गण को तत्काल समुदाय विशेष की सुरक्षा,शांति एवं कानून व्यवस्था तथा समाजिक सोहार्द बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा दिनाँक 29.5.2023 को पुरोला कस्बा बाजार में तत्काल समुदाय विशेष की सुरक्षा,शांति एवं कानून व्यवस्था तथा समाजिक सोहार्द बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी बडकोट व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस/पीएसी बल को तैनात किया गया साथ ही पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति/कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु फ्लैगमार्च निकाला गया। कस्बा बाजार पुरोला क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक स्थान पर दिन व रात्री में गश्त व पिकेट ड्यूटियां लगाई गई एवं प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखी गई और बाहरी व्यक्तियों/ किरायेदारों के सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया।

उक्त घटना को लेकर दिनाँक 2.6.2023 को विभिन्न संगठनों के द्वारा बडकोट थाना क्षेत्रान्तर्गत जुलूस निकाला गया। जुलूश को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी बडकोट, क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त कर जुलूश को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराया गया। दिनाँक 29.5.2023 की घटना को लेकर दिनाँक 4.6.2023 को विभिन्न हिन्दू संगठनों के द्वारा पुरोला में जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया गया जिसे पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त कर सकुशल सम्पन्न कराया गया। तददिनाँक की रात्री में कुछ अज्ञात व्यक्तियों /असमाजिक तत्वों के द्वारा मुस्लिम समुदाय की दुकानों के शटरों पर " लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनाँक 15.6.2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानों को खाली कर दें यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नही किया जाता है वह वक्त पर निर्भर करेगा देवभूमि रक्षा अभियान" लिखे पोस्ट चस्पा किये गये। जिस सम्बन्ध में दिनांक- 05.06.2023 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक खजान सिंह चौहान के द्वारा थाना पुरोला पर मु0अ0सं0- 06/2023 धारा-153ए/505/(1)(ग)/506 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बडकोट गजेन्द्र बहुगुणा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना वर्तमान में प्रचलित है।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दिनांक 08.06.2023 को उपजिलाधिकारी पुरोला व क्षेत्राधिकारी बडकोट की अध्यक्षता में शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में सी0एल0जी0 सदस्यों व समुदाय विशेष के व्यक्तियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया एंव दिनाकं- 12.06.2023 को जिलाधिकारी उत्तरकाशी व अद्योहस्ताक्षरी द्वारा तहसील परिसर पुरोला में मुस्लिम समुदाय की दुकानों को खुलवाने के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों,व्यापार मण्डल के लोगों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें सभी लोगों से प्रकरण में विधिक कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में बताया गया। विभिन्न हिन्दू संगठनों व व्यापार मण्डल के लोगों द्वारा दिनांक – 15.06.2023 को पुरोला में महापंचायत करने की बात कही गयी। दिनांक 15.06.2023 को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत के दृष्टिगत शांति/कानून व्यवस्था व

समाजिक सौहार्द बनाये रखने एवं घटना की गम्भीरता को देखते हुये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी अधिनस्त अधिकारी /कर्मचारीगण को निरन्तर ब्रीफ कर सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा दिनाँक 15.6.2023 को आवश्यक पुलिस बल को नियुक्त किया गया। शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये उप जिलाधिकारी पुरोला द्वारा दिनांक- 14.06.2023 से दिनांक 19.06.2023 तक थाना पुरोला क्षेत्रान्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 लागू करने का आदेश पारित किया गया, जिसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया गया। दिनांक 15.06.2023 को विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रस्तावित महापंचायत के दृष्टिगत एंव समुदाय विशेष की सुरक्षा हेतु थाना पुरोला क्षेत्रान्तर्गत पर्याप्त पुलिस,पीएसी बल को तैनात किया गया ,जिससे क्षेत्र में शांति/कानून व्यवस्था एंव साम्प्रदायिक सैहार्द बना रहे। जिला प्रशासन / पुलिस द्वारा किये गये हर सम्भव प्रयासों के फलस्वरुप दिनांक 15.06.2023 को होने वाली महापंचायत नही हो पायी है तथा कस्बा बाजार पुरोला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही।

तत्कालीन चौकी प्रभारी बाजार पुरोला उ0नि0 श्री भाव सिह चौहान द्वारा दिनांक 29.05.2023 की घटना के सम्बन्ध में जांचोउपरान्त दिनांक-15.06.2023 को थाना पुरोला पर मु0अ0सं0 07/2023 धारा-147/149/427 भादवि बनाम अज्ञात करीब 100-150 लोग पंजीकृत कराया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री राजेश कुमार, चौकी प्रभारी नौगांव द्वारा सम्पादित की जा रही है। दिनांक 17.06.2023 को कस्बा बाजार पुरोला में समुदाय विशेष की सभी दुकाने शांतिपूर्ण ढंग से खुल चुकी है। समुदाय विशेष की सुरक्षा एंव कस्बा बाजार पुरोला में शांति /कानून व्यवस्था एंव सामाजिक सौहार्द बनाये रखनें हेतु आवश्यक पुलिस बल नियुक्त किया गया है। वर्तमान समय में पुरोला क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम हैं तथा अराजकतत्वों पर स्थानीय पुलिस द्वारा निरन्तर भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों के गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण हेतु विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। क्षेत्राधिकारी बडकोट की आख्या संलग्न प्रेषित है।

संलग्नकः- यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी।

भारत सरकार सेवार्थ recd on 7.9.23

To

Shri Nandan Maluste Nirant,
Juhu Tara Road, Juhu Santacruz (West),
Mumbai-400049.

R

RV 71443375 1IN

संप्रेषण लिपिक
जिला कार्यालय
उत्तरकाशी